

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

(कार्यवाही अनुभाग)
विधान भवन, लखनऊ,

दिनांक: 25 मार्च, 2022

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- 18वीं विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 5(2) की ओर आकृष्ट कराना है जिसके अनुसार सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह संविधान के अनुच्छेद-188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व प्रमुख सचिव विधान सभा के पास।

(क) अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करें तथा

(ख) प्रपत्र-3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा भी प्रस्तुत करें।

2. चूंकि 18वीं विधान सभा के माननीय सदस्यों को शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने हेतु दिनांक 28 व 29 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 का समय निर्धारित किया गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त तिथि तथा समय पर आप विधान भवन, लखनऊ स्थित विधान सभा मण्डप में पधारने का कष्ट करें।

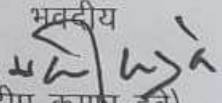
3. आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया आप अपने साथ निर्वाचन प्रमाण पत्र की मूल प्रति अवश्य लायें।

4. विधान सभा मण्डप के दोनों लॉबीज में आपकी सुविधा हेतु जनपदवार आठ काउन्टर बनाये गये हैं, जो उपर्युक्त तिथि को प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे तक कार्यरत रहेंगे। किस जिले से निर्वाचित सदस्यगण किस काउन्टर पर सम्पर्क करेंगे, इसका विवरण संलग्नक-1 में अंकित है।

5. माननीय सदस्यगण अपना मूल निर्वाचन प्रमाण-पत्र सम्बन्धित काउन्टर पर प्रस्तुत करके प्रपत्र-3 की एक प्रति प्राप्त करेंगे और उसे स्वयं भरकर उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् आपको उसी काउन्टर से शपथ/प्रतिज्ञान सम्बन्धी फार्म उपलब्ध कराया जाएगा।

6. शपथ/प्रतिज्ञान सम्बन्धी फार्म प्राप्त करने के उपरान्त मा0 सदस्यगण सभा मण्डप में स्थान ग्रहण करेंगे जहाँ उन्हें शपथ दिलायी जाएगी। शपथ/ प्रतिज्ञान सम्बन्धी प्रक्रिया का विवरण संलग्नक-2 में अंकित है।

7. इस प्रक्रम पर यह पुनः स्पष्ट करना है कि यदि कोई सदस्य अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र (मूलरूप में) साथ नहीं लाते हैं, तो वे शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के अधिकारी नहीं होंगे। संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक-1

शपथ/प्रतिज्ञान पत्र वितरण काउन्टर

'सत्ता पक्ष' सभा कक्ष (लॉबी)

- पहला काउन्टर जिला— सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ तथा बागपत।
- दूसरा काउन्टर जिला— गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा फिरोजाबाद तथा कासगंज।
- तीसरा काउन्टर जिला— एटा, मैनपुरी, गुन्नौर(सम्भल), बदायूँ, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी तथा सीतापुर।
- चौथा काउन्टर जिला— हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा तथा औरैया।

'प्रतिपक्ष' सभा कक्ष (लॉबी)

- पाँचवा काउन्टर जिला— कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर तथा प्रतापगढ़।
- छठा काउन्टर जिला— कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर तथा गोण्डा।
- सातवां काउन्टर जिला— सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा आजमगढ़।
- आठवां काउन्टर जिला— मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर तथा सोनभद्र।

संलग्नक-2

शपथ/प्रतिज्ञान की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान सभा मण्डप, विधान भवन, लखनऊ में दिनांक 28 व 29 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रारम्भ होने वाले शपथ-ग्रहण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

शपथ के लिये मा0 सदस्यों के नाम निम्नांकित क्रम में पुकारे जायेंगे:-

1. नेता सदन,
2. नेता, विरोधी दल,
3. मंत्री-परिषद् के सदस्य,
4. महिला सदस्यगण तथा
5. शेष सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार)

मा0 सदस्य अपना नाम पुकारे जाने पर अपने स्थान से सभा मंच पर आयेंगे और संविधान के अनुच्छेद-188 के अधीन मा0 राज्यपाल द्वारा एतदर्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान की तृतीय अनुसूची के प्रपत्र-vii-ख के अनुसार शपथ-ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। तत्पश्चात शपथ अथवा प्रतिज्ञान पत्र पर हस्ताक्षर करके वे उसे सचिवालय के एतदर्थ तैनात अधिकारी/कर्मचारी को वापस कर देंगे और एतत्प्रयोजनार्थ रखी गयी पंजी में हस्ताक्षर करेंगे। उसके उपरान्त वे अपना स्थान पुनः ग्रहण करेंगे।

यदि किसी कारणवश कोई सदस्य उक्त तिथि पर शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञान हेतु उपस्थित न हो सके, तो उसके लिये वे बाद में किसी भी कार्य-दिवस में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(कार्यवाही अनुभाग)

संख्या:- 40 /वि0स0/1(का0)/2022 टी0सी0-11

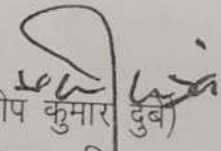
लखनऊ, दिनांक 25 मार्च, 2022

प्रेस-नोट

उत्तर प्रदेश की 18वीं विधान सभा के मा0 सदस्यों के शपथ-ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करने हेतु दिनांक 28 एवं 29 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विधान सभा के सभा मण्डप में व्यवस्था की गई है। शपथ / प्रतिज्ञान पत्रों का वितरण उसी दिन पूर्वाह्न 09.00 बजे से 11.00 बजे तक विधान सभा के सभा मण्डप की सत्ता पक्ष लाबी एवं प्रतिपक्ष लाबी कक्षों में किया जायेगा। नव निर्वाचित समस्त सदस्यगण से अनुरोध है कि वे कृपया अपने जनपद से सम्बन्धित काउण्टर पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रदत्त निर्वाचन प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करके अपना शपथ / प्रतिज्ञान-पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें।

Press Note

Arrangement for taking oath or making affirmation by the hon'ble Members of Uttar Pradesh 18th Vidhan Sabha have been made of the 28th & 29th day of March, 2022 in Vidhan Sabha Mandap from 11.00 AM onwards. The forms of oath or affirmation will be distributed to hon'ble Members on the same day from 09.00 AM to 11.00 AM in the lobbies of Vidhan Sabha Mandap. All the Hon'ble Members are requested kindly to obtain the said form, from the concerned counter in lobbies of the Sabha Mandap after presenting the original Election Certificate issued to them by the Returning Officer.


(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव।

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(कार्यवाही अनुभाग)

विधान भवन, लखनऊ
दिनांक 25 मार्च, 2022

प्रेषक,
अशोक कुमार,
विशेष सचिव।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- 18वीं विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

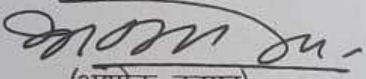
महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधान सभा के नव निर्वाचित मा० सदस्यों को शपथ-ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करने हेतु दिनांक 28 व 29 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से विधान सभा के सभा मण्डप में व्यवस्था की गयी है। तदनुसार मा० सदस्यों को शपथ पत्र अथवा प्रतिज्ञान पत्र के वितरण का कार्य उक्त दिवसों में विधान सभा मण्डप के दोनों लाबियों (सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष) में पूर्वाह्न 09:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य किया जायेगा। मा० सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण/प्रतिज्ञान करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा उन्हें विधान सभा का सदस्य निर्वाचित किये जाने के परिणामस्वरूप दिया गया निर्वाचन प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, विधान सभा के स्तर से समस्त मा० सदस्यों के लिए जारी प्रक्रिया सम्बन्धी पत्र की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद के सभी विधान सभा क्षेत्रों के नव निर्वाचित मा० सदस्यों को तत्काल/शीर्ष प्राथमिकता पर "विशेष वाहक" के माध्यम से उपर्युक्त सूचना इस अनुरोध के साथ भिजवाने का कष्ट करें कि वे दिनांक 28 व 29 मार्च, 2022 को यथासमय अनिवार्य रूप से रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी निर्वाचन प्रमाण-पत्र की मूलप्रति के साथ विधान सभा मण्डप, लखनऊ में पधारने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से इस सचिवालय को भी अवगत कराए।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,


(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।